रजिस्टर्ड नं० एल०-33/एस० एम०/13-14/95.

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

(असाधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, शुक्रवार, 23 जून, 1995/2 आषाढ, 1917

हिमाचल प्रदेश सरकार

पंचायती राज विभाग

कार्यालय आदेश

शिमला-171002, 3 जून, 1995

संख्या पी०सी०एच०एच०ए०(5)चांजू.—अतः पंचायत निरीक्षक, विकास खण्ड चौपाल द्वारा ग्राम पंचायत चांजू का निरीक्षण दिनांक 14-1-1990 को किया गया था । निरीक्षण पत्र के अवलोकन से यह पाया गया है कि श्री भूपेन्द्र सिंह, प्रधान, ग्राम पंचायत चांजू, विकास खण्ड चौपाल द्वारा सभानिधि का दुर्विनियोजन/दुरुपयोग किया गया है तथा लेखा संधारण में बहुत सी अनियमितताएं पाई गई है ।

और यह कि उन आरोपों जिनकी सूची संलग्न है की सत्यता जानने के लिए नियमित जांच करवाने का सरकार द्वारा निर्णय लिया गया है ।

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल उन शक्तियों के अन्तर्गत जो कि उन्हें हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 146(1) के तहत प्रदत्त है, का प्रयोग करते हुए अतिरिक्त उपायुक्त शिमला को

1814-राजपत्र/95-23-6-95—1,224. (2579) मूल्य : 1 रुपया ।

जांच अधिकारी तथा जिला अंकेक्षण अधिकारी, शिमला को प्रस्तुतकर्त्ता अधिकारी नियुक्त करने के सहर्ष आदेश प्रदान करते हैं। यह भी आदेश दिया जाता है कि यह जांच रिपोर्ट एक मास के भीतर अधोहस्ताक्षरी को प्रस्तुत करेंगे।

हस्ताक्षरित/-
अतिरिक्त सचिव।

श्री भूपेन्द्र सिंह प्रधान, ग्राम पंचायत चांजू, विकास खण्ड चौपाल के विरूद्ध लगाये गए आरोपों की सूची

1. यह कि श्री भूपेन्द्र सिंह, प्रधान ने दिनांक 13-3-88 से जनवरी, 1990 तक ग्राम सभा की बैठकें नहीं बुलाई, जबकि हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1968 की धारा 6(1) के अन्तर्गत ग्राम सभा की वर्ष में दो बैठकों का आयोजन करना अनिवार्य है और दो बैठकों में आठ मास से अधिक का अन्तर नहीं होना चाहिए।

2. यह कि उक्त श्री भूपेन्द्र सिंह ने सभानिधि से बजट प्रावधान के बिना व्यय किया है तथा हिमाचल प्रदेश पंचायती राज वित्त नियमावली के नियम 6(8) के अन्तर्गत कोई भी स्वीकृति प्राप्त नहीं की, जो कि उक्त नियम की उल्लंघना है।

3. यह कि वर्ष 1988 के दौरान उक्त श्री भूपेन्द्र सिंह ने प्राथमिक पाठशाला भवन चौपाल के निर्माण हेतु 20 क्विंटल गेहूं जिसका मूल्य 3000/- बनता है का न तो स्टाक रजिस्टर में इन्द्राज किया ना ही इसके उपयोग का कोई हिसाब-किताब रखा गया है। अतः स्पष्ट है कि 20 क्विंटल गेहूं के मूल्य का दुरुपयोग किया गया है।

4. यह कि उक्त श्री भूपेन्द्र सिंह द्वारा श्री रणजोध सिंह को मूल्य 1000/- पेशगी लाल पानी पुल के निर्माण हेतु दी, परन्तु मास 12/73 में उक्त स्कूल भवन पर 3515/- व्यय दिखाया गया, परन्तु मु0 1000/- जो पेशगी दी गई थी, उसका इन्द्राज आय भाग में न करके मु0 1000/- का दुरुपयोग किया है, इसके अतिरिक्त उक्त पुल पर सभानिधि से 1447/- बिना सक्षम अधिकारी की स्वीकृति के व्यय कर दिये गये हैं जो अनियमित है।

5. यह कि उक्त श्री भूपेन्द्र सिंह ने दिनांक 17-10-89 को मु0 3000/- बिना पंचायत की स्वीकृति के पंचायत के बचत लेखा से निकाले और 12-1-90 तक अपने पास रख कर उक्त राशि का दुरुपयोग किया।

6. यह कि उक्त श्री भूपेन्द्र सिंह ने मु0 14,000/- जवाहर रोजगार योजना की राशि सहकारी बैंक से बिना पंचायत की स्वीकृति से निकाली तथा निजी प्रयोग में ला करके उक्त राशि का छलहरण किया है।

7. यह कि उक्त श्री भूपेन्द्र सिंह ने वर्ष 1988-89 में 6000/- सभानिधि से व्यय किये जबकि बजट में केवल 3000/- व्यय करने का प्रावधान था इस प्रकार हिमाचल प्रदेश पंचायती राज वित्त नियमावली 1975 के नियम 6(8) की उल्लंघना है।

8. यह कि उक्त श्री भूपेन्द्र सिंह ने मु0 52850/- पेशगी के रूप में प्राप्त किये जिसमें से केवल 15975/- का ही लेखा-जोखा प्रस्तुत किया गया, इस प्रकार शेष 36875/- का दुरुपयोग निजी प्रयोग में ला करके किया।

9. यह कि उक्त श्री भूपेन्द्र सिंह ने प्राथमिक पाठशाला स्कूल चौकिया पर मु0 200/- रास्ता बांधना पर मु0 3975, खेल मैदान चौकिया पर 800/- तथा सिंचाई योजना धनों के निर्माण पर 650-/ प्राप्त

अनुदान राशि से अधिक व्यय करके सभानिधि का दुरुपयोग किया है जो कि हिमाचल प्रदेश वित्त नियम 1975 के नियम 6(8) की उल्लंघना है ।

10. यह कि उक्त श्री भूपेन्द्र सिंह ने भिन्न-भिन्न व्यक्तियों को भिन्न-भिन्न तिथियों को मु0 37989.50 पैसे उधार के रूप में दिये और वसूली के बारे कोई पग नहीं उठाये जिसके फलस्वरूप पंचायत को वित्तीय हानी उठानी पड़ी है।

11. यह कि उक्त श्री भूपेन्द्र सिंह ने ग्राम पंचायत के छः स्टाल किराये पर दिये, जिनका किराया 40850/- वसूल होना था, परन्तु केवल 7075/- ही वसूल किए जिनके कारण मु0 33775/- वसूल ना करके पंचायत को वित्तीय हानी पहुंचाई है ।

12. यह कि वर्ष 1985 में ग्राम पंचायत चांजू को अधिसूचित क्षेत्र घोषित करने के फलस्वरूप दिनांक 11-11-87 को मु0 6999.50 पैसे स्वीकृत किये गये परन्तु उक्त राशि के प्रयोग का कोई हिसाब-किताब पंचायत को नहीं दिया गया है ।

13. यह कि पंचायत घर मुरम्मत पर मु0 1290/- व्यय किये गये जिसका न तो अनुमान/प्राक्कलन बनवाया गया और न ही उसका मूल्यांकन करवाया गया जो कि वित्तीय नियम 6(8) की उल्लंघना है ।

खाद्य एवं आपूर्ति विभाग

अधिसूचना

मण्डी, 7 जून, 1995

संख्या एफ0 डी0 एस0 एम0 एन0 डी0(ए0) 48/81.—पिछले सभी आदेशों तथा अधिसूचनाओं का अधिक्रमण करते हुए तथा हिमाचल प्रदेश जमाखोरी एवं मुनाफाखोरी उन्मूलन आदेश, 1977 की धारा 3(1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं, तरुण श्रीधर, जिला दण्डाधिकारी, मण्डी उपरोक्त आदेश की अनुसूची में दर्ज आवश्यक वस्तुओं के परचून भाव समस्त करों सहित निम्न प्रकार से निर्धारित करता हूं । कोई भी व्यापारी इससे अधिक मूल्य नहीं लेगा :—

क्रम संख्या	अनुसूची	वस्तु का नाम	परचून भाव समस्त करों सहित	
1	2	3	4	
				रु0 पै0
1.	2	1. डबल रोटी 400 ग्राम जो कि मोमजामी कागज में बन्द तथा कवर पर मूल्य छपा होना चाहिए ।	थोक भाव	3.75
			परचून भाव	4.00
		2. डबल रोटी 800 ग्राम जो कि मोमजामी कागज में बन्द तथा कवर पर मूल्य छपा होना चाहिए ।	थोक भाव	7.50
			परचून भाव	8.00

1	2	3		4
2.	12	**मांस तथा मछली :**		रु० पै०
		1. मांस बकरा	प्रति किलो	48.00
		2. मांस मेंढा	,,	48.00
		3. मांस सुअर	,,	35.00
		4. मुर्गा साफ किया हुआ	,,	48.00
		5. मुर्गा ब्रायलर साफ किया हुआ	,,	50.00
		6. मछली कची साफ की हुई	,,	27.00
		7. कलेजी तथा कीमा	,,	52.00
		8. मछली तली हुई	,,	47.00
3.	17	**पक्का हुआ खाना जो होटलों में परोसा जाता है जो, पर्यटन विभाग से पंजीकृत न हो :**		
		1. चावल परमल दाल सहित	पूरी खुराक	8.00
		2. चावल परमल दाल सब्जी सहित	,,	10.00
		3. चावल परमल प्रति प्लेट	प्रति प्लेट	5.00
		4. चावल मोटा प्रति प्लेट	,,	2.50
		5. चावल मोटा दाल सब्जी सहित	,,	6.00
		6. चावल मोटा दाल सहित	,,	4.00
		7. सब्जी स्पैशल जैसे राजमाह, चना, गोभी मटर आदि ।	,,	8.00
		8. सब्जी स्पैशल -यथोपरि-	आधी प्लेट	4.00
		9. सब्जी पालक पनीर, मटर पनीर	प्रति प्लट	10.00
		10. सब्जी -यथोपरि-	आधी प्लेट	5.00
		11. दाल फ्राईड	प्रति प्लेट	6.00
		12. मीट रोस्टिड बकरा/मेंढा	,,	21.00
		13. मीट -यथोपरि-	आधी प्लेट	11.00
		14. चिकन तथा चिकन करी	प्रति प्लेट	22.00
		15. -यथोपरि-	आधी प्लेट	12.00
		16. रायता 200 ग्राम दही में	प्रति प्लेट	4.50
		17. चपाती तवे की	प्रति चपाती	0.75
		18. चपाती तन्दूरी	,,	1.00
4.	18	**दूध तथा दूध के पदार्थ :**		
		1. दूध जो स्थानीय लोगों द्वारा बेचा जाता है ।	प्रति किलोग्राम	6.00

1	2	3	4
		2. दूध जो हलवाईयों द्वारा बेचा जाता है	प्रति किलोग्राम 7.00
		3. दूध टोण्ड खुला जो मिल्क फैडरेशन द्वारा बेचा जाता है ।	,, 6.50
		4. दूध टोण्ड जो पोलीथीन पोचिज में बेचा जाता है ।	,, 7.00
		5. दही	,, 12.00
		6. पनीर	,, 44.00
		7. चाय	प्रति कप 1.50
		ठण्डे पेय पदार्थ :	
		1. लिमका, थम्जअप, माजा, लहर पैपसी मरण्डा, गोल्ड स्पोट, कैम्पा कोला, सीटरा चिल्ड ।	प्रति बोतल (चिल्ड) 6.00
		2. सोडा लेमन, लोकल	,, 3.50

टिप्पणी :—

1. मीट की प्लेट में पांच टुकड़े मांस के वजन 200 ग्राम तथा 200 ग्राम तरी होनी चाहिए।

2. स्पैशल सब्जी में पालक-पनीर, मटर पनीर का वजन 250 ग्राम होना चाहिए तथा पनीर कम से कम 100 ग्राम होना चाहिए ।

3. प्रत्येक दुकानदार को अपनी दुकान पर ग्राहकों के द्वारा सुविधा से पढ़े जाने वाले स्थान पर अपने हस्ताक्षर तथा दिनांक सहित देवनागरी लिपि में मूल्य सूची प्रदर्शित करनी होगी ।

4. प्रत्येक दुकानदार के ग्राहक के मांगने पर कैश मेमों देना होगा ।

5. दूध गुणवत्ता मिलावट निरोधक अधिनियम 1951 के निर्दिष्ट माप दण्डानुसार होना चाहिए ।

यह अधिसूचना, हिमाचल प्रदेश सरकार के राजपत्र (असाधारण) में प्रकाशित होने के पश्चात एक मास तक पूरी मण्डी जिला में लागू रहेगी ।

तरुण श्रीधर,
जिला दण्डाधिकारी,
मण्डी (हि0प्र0) ।

TOWN AND COUNTRY PLANNING DEPARTMENT

OFFICE ORDERS

Shimla-1, *the* 13*th June*, 1995

No. HIM/TP-Delegation of Powers/93-Vol.-I-2989-3069.—In exercise of powers vested in him *vide* sub-section (2) of section-77 of Himachal Pradesh, Town and Country Planning

Act, 1977 (Act No. 12 of 1977), the undersigned hereby delegates powers as excercisable by him under section 34 of Himachal Pradesh, Town and Country Planning Act, 1977 (Act No. 12 of 1977) in respect of Zone No. 2, 6 and 7 of Shimla Planning Area as delineated in the Interim Development Plan Shimla, notified *vide* Government of Himachal Pradesh Notification No. 6-12/72-PW (B), dated 24-3-1979 to Executive Engineer, Development Control Division No- III, Town and Country Planning Office, Shimla-2 (H. P.). This is in continuation of Office Order No. HIM/TP-Delegation of Powers/93-Vol-I/14412-493, dated 4-2-1995.

Shimla-1, *the* 13*th June*, 1995

No. HIM/TP-Delegation of Powers/95-Vol-II-3151-3229.—In exercise of powers vested in him under sub-section (2) of section 77 of Himachal Pradesh, Town and Country Planning Act, 1977 (Act No. 12 of 1977), the undersigned hereby delegates powers as exercisable by him under Section 34 of the Himachal Pradesh, Town and Country Planning Act, 1977 (Act No. 12 of 1977) in respect of Zone No. 1, 3, 4, and 5 of Shimla Planning Area as delineated in the Interim Development Plan, Shimla, notified *vide* Government of Himachal Pradesh Notification No. 9-12/72-PW(B), dated 24-3-1979 to Town and Country Planner, Shimla, Divisional Town Planning Office, Shimla. This is in continuation of Office Order No. HIM/TP-Delegation of powers/93-Vol-I/14343-14411, dated 4-2-95.

Shimla-1, *the* 13*th June*, 1995

No. HIM/TP Delegation of Powers / 95-Vol-II-3070-3150.—In exercise of powers vested in him *vide* sub-section (2) of section-77 of Himachal Pradesh, Town and Country Planning Act, 1977 (Act No. 12 of 1977), the undersigned hereby delegates powers as exercisable by him under section 34 of Himachal Pradesh Town and Country Planning Act, 1977 (Act No. 12 of 1977) in respect of Hamirpur Planning Area to the Assistant Town Planner, Hamirpur, Sub Divisional Town Planning Office, Hamirpur. This is in continuation of Office Order No. HIM/TP- Delegation of powers/95-Vol-II-1700-80, dated 20-5-95.

Sd/-

Director,
Town and Country Planning Deptt.,
Himachal Pradesh, Shimla-1.

नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित ।